न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 22/2021
प्रकरण दर्ज तिथि :— 16.12.2021
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/169

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. खुमसिंह पुत्र श्री भेरसिंह, 2. नोजी पत्नि श्री खुमसिंह, जाति रावत, उम्र—वयस्क, निवासी—पचानपुरा, तहसील रायपुर जिला पाली राज.		1. पांचुसिंह पुत्र श्री भेरसिंह, 2. भंवरसिह पुत्र श्री भेरसिंह, 3. भानसिंह पुत्र श्री भेरसिंह, जाति रावत, उम्र—वयस्क,निवासी—पचानपुरा, तहसील रायपुर जिला पाली राज 4. तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक :— 10.08.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला वगैरह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा भू. अभि. नि. क्षैत्र, तहसील रायपुर जिला पाली की जमाबन्दी सवत् 2075—2078 के खाता सं. 38 खसरा सं. 443/27 रक्बा 0.1457 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खातेदारी भुमि आई हुई हे। उपरोक्त खातेदारी आराजी की वक्त चालु जमाबन्दी, वक्त आनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति, एवं पुर्व राजस्व नक्शे कि प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का एक भाग समझा जावें । उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त विवादित भुमि प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि है जिस पर प्रार्थीगण लम्बे समय से काबिज होकर शांति पुर्वक काश्त कर रहे है। उक्त भुमि राजस्व नक्शे मे तरमीन हो रखी थी। एवं उक्त विवादित भुमि के पास में पश्चिम दिशा मे खसरा सं. 443/29 एवं 443/28 तरमीन हो रखे थे जिस पर खसरा सं. 443/29 मे 443/29 के खातेदार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। एवं खसरा सं. 443/28 किस्म गै. मु. बेरा है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है एवं अप्रार्थीगण उक्त कुए/बेरा के पानी का उपयोग शांति पुर्वक अपने खेत को पानी पिलाने हेतु करते आ रहे है एवं आज दिंनाक भी मौके पर खसरा सं. 443/29 एवं 443/28 सही जगह स्थित है। उक्त खसरा सं. 443/28 की वक्त सेकरीक्रेशन व राजस्व नक्शे आनलाईन करते समय मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जे वाले कुए की तरमीन पुर्व पुराने नक्शे के अनुसार खसरा सं. 443/29 के पास नहीं करते हुए उसके

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

स्थान पर नहीं करते हुए प्रार्थीगण की भुमि मे खुदे कुए पर कर दी। जबकि प्रार्थीगण ने भी अपने खेत को पिलाने हेतु कुआ खुदा रखा है। जिस पर प्रार्थी ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। जो राजस्व नक्शे मे तरमीन कर रखा है परन्तु उसको किसी प्रकार का कोई खसरा नं. नही दिया हुआ है। उक्त प्रार्थीगण के कुआं मे अप्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जो गलत है अप्रार्थीगण का कुआ खसरा सं. 443/29 मे अलग से पुर्व से तरमीन हो रखा है। वक्त राजस्व नक्शे को आनलाइन करते समय खसरा सं. 443/28 की तरमीन भुलवश प्रार्थीगण के हिस्से मे गलत करने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बहुत परेशान कर रहे है एवं बार बार विवाद उत्पन्न कर रहे है मौके पर लडाई झगडा भी कर रहे है। जिस पर पुलिश थाना रायपुर मे आपस मे विवाद कि रिर्पोट भी पेश कि जा चुकी है। इसलिए उक्त विवाद का आगे नही बढाने एवं मौके पर शांति कायम रखने हेतु उक्त राजस्व नक्शे कि तरमीन को सुधारा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। हल्का पटवारी ने वक्त सेकरीक्रेशन व राजस्व नक्शे आनलाईन करने डी आर एल एम पी के तहत हल्का पटवारी ने उक्त भुमि कि तरमीन बिना मौके पर गये बिना मौके देखे बिना डी आर एल एम पी मे राजस्व नक्शे आनलाईन करने मे जल्दबाजी करते हुए बिना किसी खातेदार के बयान लेकर बिना किसी प्रकार का मौका देखें अपनी मन मर्जी से गलत स्थान पर तरमीन कर दी है जबकि अप्रार्थीगण का बेरा किसी अन्य जगह खुदा हुआ है एवं मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा वर्तमान तरमीन की जगह नही होकर अन्यत्र स्थान पर था एवं आज दिंनाक मे अप्रार्थीगण का कब्जा भी अन्यत्र स्थान पर है एवं तरमीन प्रार्थीगण के हिस्से मे है जिससे प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अगर तरमीन गलत जगह रहती है तो प्रार्थीगण को भारी आर्थीक मानसिक नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पुरी नहीं कि जा सकती है। मौके एवं रेकर्ड मे फर्क होने से प्रार्थीगण का ऋण लेने मे अन्य सरकारी लाभ लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा। प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण के मध्य मौके पर विवाद होने पर हल्का पटवारी से राजस्व नक्शा निकलवाने पर यह ज्ञात हुआ खसरा सं. 443/28 की राजस्व नक्शे मे तरमीन अन्यत्र स्थान पर की गई एंव आप अप्राथीगण का कब्जा अन्य जगह है तब प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुई उक्त गलत तरमीन की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से निवेदन किया कि खसरा सं. 443/28 की राजस्व नक्शे मे तरमीन को सुधारा जावें हल्का पटवारी ने बताया पुराना नक्शा देखकर बताया की खसरा सं. 443/28 की आनलाईन तरमीन करते समय गलत हो गयी आप इसे राजस्व न्यायलय से तरमीन शुद्वी करवाकर लावे। तभी ही राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्व की जायेगी। तब प्रार्थीगण को राजस्व नक्शे मे तरमीन

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस कारण उक्त तरमीन संसोधन के प्रार्थना पत्र कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया कि तरमीन शुद्वि करवानी है तब प्रार्थी के द्वारा उनके अधिवक्ता ने बताया की अभी प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 चल रहे है इस वजह से कोर्ट मे सुनवाई नही हो रही है आप 13 दिसम्बर के पश्चात् आवे। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है। तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दु पर है इसलिए उस पर म्याद कानुन लागु नही होता है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की जमीन का उपभोग उपयोग बिना किसी रोक–टोक के करते आ रहे है, प्रार्थीगण की भुमि मे खुदे कुआ पर प्रार्थीगण ने तरमीन करवा रखा है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे उसका खसरा नं0 नही दिया हुआ है। अगर वर्तमान रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण के हक हिस्से की जमीन के राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण के बेरा के स्थान पर अप्रार्थीगण का बेरा खसरा सं. 443/28 गलत तरमीन रह जाती है तो प्रार्थीगण को असीम क्षति व भारी नुक्शान होगा, मौके पर विवाद स्थिति बनी हुई है अप्रार्थीगण गलत तरमीन का फायदा उठा कर प्रार्थीगण को बिना मतलब परेशान कर रहे है लडाई कर रहे विवाद बढा रहे अगर विवाद बढता है तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होने की पुंर्ण सम्भावना है जिसकी क्षति पुर्ति किसी तरह सम्भवं नही होगी, तथा प्रार्थीगण अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र मौका कब्जा की जाचॅ कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं पुर्व कपडे वाले राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में संसोधन करवाने एवं प्रार्थीगण की भुमि मे खुदे कुए को प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का पचानपुरा के खसरा नं. 443/28 एवं 443/27 की मौके अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीन सही नही होने से विवाद कि स्थिति बनी हुई है इसलिए विवादित भुमि एवं खसरा सं. 443/28 की मौका कब्जा की जाचॅ कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं पुर्व कपडे वाले राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे संसोधन तरमीन किया जाने का आदेश प्रदान करावें तथा प्रार्थीगण की भुमि मे खुदे प्रार्थीगण के कुआ को अलग खसरा नं. प्रदान कर राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावै। जिससे प्रार्थीगण को भाविष्य मे हाने वाली भारी समस्या से बचा जा सके। एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। सरकारी पैरोकार ने अपना जबाव प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्व कैम्प 2008 पचानपुरा में सयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाडा किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 624 दिनांक 05.03.2008 को भरा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

गया हैं जिसको पुष्ट पर अंकित नजरी नक्शा संलग्न हैं। उक्त नजरी नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 443/27 रकबा 0.1457 हैक्टेयर बारानी दोयम खातेदार खुमसिह पुत्र भेरसिंह नोजी पत्नि खुमसिंह कौम रावत के नाम दर्ज हैं एवं खसरा नम्बर 443/29 रकबा 0.1376 हैक्टेयर बारानी दोयम खातेदार पांचुसिह पुत्र भेरसिंह, केली पत्नि पांचुसिंह कौम रावत के नाम दर्ज हैं। खसरा नम्बर 443/28 रकबा 0.0081 हैक्टेयर बारानी दोयम खातेदार पांचुसिंह भानसिंह भंवरसिंह पुत्र भेरसिंह कौम रावते के नाम दर्ज हैं। खसरा नम्बर 443/28, खसरा नम्बर 443/29 के उतरी पश्चिमी कोने मं स्थित हैं जो पांचुसिंह पुत्र भेरसिंह, केली पत्नि पांचुसिंह कौम रावत की खातेदारी हैं। परन्तु ऑनलाईन करते समय खसरा नम्बर 443/28 रकबा 0.0081 हैक्टेयर बारानी दोयम की तरमीम, खसरा नम्बर 443/27 रकबा 0.1457 हैक्टेयर के उतरी पश्चिमी कोने पर कर दी गई जबकि मौके बंटवाडा नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 443/29 के उतरी पश्चिमी कोने के पास होना चाहिए

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसार संशोधित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा भू. अभि. नि. क्षैत्र, तहसील रायपुर जिला पाली की जमाबन्दी सवत् 2075–2078 के खसरा नम्बर 443/28 की राजस्व रेकर्ड मे तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसार तरमीन संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। आदेश के साथ प्रस्तावित ट्रेस नक्शा, निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)